

बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती),
05, हार्डिंग रोड, पटना 800001

बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 5(4) के अनुसार - बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद पर आयोजित की जाने वाली 'लिखित परीक्षा' का पाठ्यक्रम निम्नवत है :

पाठ्यक्रम

1. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रतिशत प्रश्न;
2. मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिह्नों और संकेतों से संबंधित 20 प्रतिशत प्रश्न; और
3. विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख-रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20 प्रतिशत प्रश्न पूछे जायेंगे।
